03.02.2021	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर को जरिये नोटिस क्रमांक आर.टी.आई./20/1536 दिनांक 15.10.2020 द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जावे तथा अपील का बिन्दुवार उत्तर दिनांक 19.11.2020 से पूर्व इस न्यायालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित किया जावें। इसके पश्चात् भी लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त नही होने पर पुनः नोटिस क्रमांक आर.टी.आई/20/1432 दिनांक 21.12.2020 जारी कर अपील का बिन्दुवार जवाब दिनांक 03.02.2021 से पूर्व भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रार्थी द्वारा अपील में अंकित किया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, आमेर के समक्ष दिनांक 27.08.2020 को सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी, परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र की सूचना उपलब्ध नही कराई गई। इस न्यायालय में दिनांक 15.10.2020 को अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कराया जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर को नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड

या कार्यवाही	
03.02.2021	अधिकारी, आमेर द्वारा नियत आदिनांक तक ना तो इस न्यायालय को कोई जवाब भिजवाया है ना ही अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में कोई सूचना प्रेषित की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, आमेर से सूचना चाही गई है लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस न्यायालय को बिन्दुवार जवाब/सूचना आदिनांक तक प्रस्तुत नही की गई है, परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के संलग्न उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 3138 दिनांक 29.09.2020 से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी द्वारा आर.टी.आई के तहत जवाब प्रेषित किया जा चुका है, परन्तु प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, आमेर के जवाब से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा इस कार्यालय से जारी नोटिस का जवाब प्रेषित नही किया गया है ना ही जवाब प्रेषित नही करने का के कारण से इस न्यायालय को अवगत कराया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को रिकार्ड का अवलोकन कराकर उसके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में वांछित देय सूचना निःशुल्क उपलब्ध करावें। इस हेतु लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आमेर, जिला जयपुर एवं अपीलार्थी को पालना हेतु पत्र जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. अशोक कुमार)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अति. कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर